न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–228/2026

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) जे.ओ. कोड–यू.पी.2412

CNR No. UPSN010007062026

1– विजय बुल्लार उर्फ़ बुल्लार पुत्र हूबलाल बिंद व 2– सनीदेवल उर्फ़ सनीदेव पुत्र विजय बुल्लार बिंद उर्फ़ बुल्ली बिंद, निवासीगण भाला थाना चौरी जिला भदोही

.. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० राज्य ....अभियोजन

मु०अ०सं०–147/2025
धारा–115 (2), 352, 117(2)बी०एन०एस० व
धारा–3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना–चौरी, जिला–भदोही।

<u>दिनांक 16.03.2026</u>

1. नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विजय बुल्लार उर्फ़ बुल्लार पुत्र हूबलाल बिंद व सनीदेवल उर्फ़ सनीदेव पुत्र विजय बुल्लार बिंद उर्फ़ बुल्ली बिंद, निवासीगण भाला थाना चौरी जिला भदोही का नियमित जमानत पत्र सम्बंधित मु.अ.सं. 147 सन् 2025, धारा– 115 (2), 352, 117 (2) बी०एन० एस० व धारा–3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट,थाना–चौरी,जनपद–भदोही, के अभियोग में सुना गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 27.02.2026 से न्यायालय के आदेश से आज तक अन्तरिम जमानत पर है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दिए गए आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि यह कि पुलिस थाना चौरी द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध उपरोक्त मुकदमा कायम किया गया है जिसमें प्रार्थीगण वांछित अभियुक्त है और न्यायालय में आत्मसमर्पण करके न्यायिक अभिरक्षा में है। यह कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किये है महज रंजिशन झूठा फसाये गये है। यह कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की प्रथम जमानत याचना है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। यह कि प्रार्थीगण ने वादी मुकदमा अथवा किसी को न तो मारा पीटा, न तो मार पीट कर गम्भीर चोट पहुॅचायी, न तो गाली गुप्ता दिया, न तो जाति सूचक अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करके गाली गुप्ता दिया, न तो अपमानित किया। यह कि मामले की असलियत यह है कि वादी मुकदमा जाति का हरिजन है और काफी दबंग सीनाजोर किस्म का व्यक्ति है और वह प्रार्थीगण की जमीन हड़पना चाहता है जिसके बाबत अवर न्यायालय में मुकदमा चला और इस समय उक्त जमीन के बाबत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सी नम्बर 42957 / 2025 विचाराधीन है उसी मुकदमें की रंजिश एवं जमीन हड़पने हेतु दबाव बनाने की गलत मंशा से पुलिस थाना चौरी को साजिश में करके फर्जी मेडिकल

बनवा कर उक्त मुकदमा कायम करा दिया है। यह कि उक्त मुक़दमे के बावत हे प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. जिसका नम्बर 2320 / 2026 है दाखिल किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20–2–2026 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय में 5 सप्ताह के अन्दर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह कि प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति, पूर्णतया निर्दोष है किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किये है। प्रार्थीगण अपनी जमानत देने को तैयार हैं जमानत होने पर जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे अदालत के आदेशानुसार बराबर हाजिर अदालत रहेंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उचित जमानत मुचलका पर रिहा करने की कृपा करें ताकि न्याय हो।

3. अभियोजन कथानक अनुसार प्रार्थी सन्तोष कुमार पुत्र मेंहीलाल ग्राम दरीबपुर पो० भगवानपुर कनेहरी जनपद भदोही का मूल निवासी है, दिनांक 20/09/2025 को सुबह 6.30 A.M. पर अपने खेत के बबूल के पेड़ का छटाई कर रहा था इतने मे विपक्षीगण सन्नीदेवल पुत्र विजय बुल्लार विन्द निवासी ग्राम भाला थाना चौरी आये। विजय बुल्लार S/O हुबलाल अपने बेटे सन्नीदेव को ललकारे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये प्रार्थी को लाठी व डन्डे से मारते हुए गम्भीर रूप से घायल कर दिया वही पर प्रार्थी गिर गये और उसके बाद दोनो लोग लात घूसे से काफी मारे पीटे और माँ बहन की गाली दिये और बोले इन चमार सालो को, मारो हमारा कोई क्या कर लेगा ये बहुत दबंग किस्म एवं मनबढ़ किस्म के लोग है। उपरोक्त सूचनानुसार सम्बंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. वादी मुकदमा की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करते हुए यह कथन किया गया कि दिनांक 28.09.2025 को सुबह 6.30 बजे आपत्तिकर्ता अपने परिवार के भूमिधरी जमीन में बबूल के पेड़ की टहनी की छटाई कर रहा था तो इतने में अभियुक्तगण आये गन्दी गन्दी गाली और जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया। गाली देने से मना करने पर गम्भीर चोट पहुँचाकर अभियुक्तगण ने हड्डी तोड़ दिया। यह कि थाना चौरी को सूचना देकर पुलिस की देख–रेख में चोट का एक्सरे हुआ। यह कि गवाहान के बयान से साफ जाहिर है कि अभियुक्तगण 1 किमी० दूर ग्राम भाला से ग्राम दरीबपुर मे आकर मार–पीटकर गभ्भीर चोट पहुँचायी है। यह कि ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा दूसरे गाँव का व्यक्ति जो अभियुक्तगण ग्राम भाला के है उसक बावत जिलाधिकारी ने बेदखली का आदेश पारित किया है अभियुक्तगण ग्राम दरीबपुर के निवासीगण नही है। यह कि धटना स्थल ग्रााम दरीबपुर का है। यह कि अभियुक्त विजय कुमार व उसका लड़का सनीदेवल बहुत ही दबंग व अपराधी किस्म के व्यक्ति है। प्रधान द्वारा शिकायत की ग्राम भाला से आकर ग्राम दरीबपुर की ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा है प्रशासन ने अभियुक्तगण को बेदखल व जुर्माना लगाया है। यह कि अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने पर साक्ष्य अपने पक्ष मे कराने के बावत पुनः मार–पीटकर भयभीत करेगे। जबकि अभियुक्तगण से कोई मुकदमा व रंजिश नही है। यह कि सुलह से इनकार पर पूरे परिवार की हत्या का धमकी अभियुक्तगण द्वारा बराबर दिया जा रहा है। जिसकी शिकायत पुलिस विभाग व प्रशासन को दिया गया है। यह कि अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने पर जमानत का दुरूपयोग अवश्य करेगे। यह कि जाति सूचक शब्द बोलकर पूरे जाति का आपत्तिकर्ता के साथ अभियुक्तगण ने किया। अतः

श्रीमान्जी से प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय मे दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण का निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। ताकि न्याय हो।

5. विद्वान् विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण तथाकथित अपराध की घटना में संलिप्त रहे हैं, जमानत पर छूटने पर जमानत का दुरूपयोग करेंगे। जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने घटना दिनांक व समय को वादी मुकदमा के साथ मार पीट की जिससे वादी मुकदमा के बाये हाथ की कलाई में फ्रैक्चर होना बताया गया है, उसे अपमानित किया, जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 27.02.2026 से अंतरिम जमानत पर है, मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास एवं पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। विधि व्यवस्था–**सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य (2021) 10 SCC 773** में प्रतिपादित सिद्धांत तथा मामले के तथ्य एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता हैं तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विजय बुल्लार उर्फ़ बुल्लार पुत्र हूबलाल बिंद व सनीदेवल उर्फ़ सनीदेव पुत्र विजय बुल्लार बिंद उर्फ़ बुल्ली बिंद, निवासीगण भाला थाना चौरी जिला भदोही, का जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु.अ.सं. 147 सन् 2025, धारा–115 (2), 352, 117 (2) बी०एन० एस० व धारा–3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–चौरी, जनपद–भदोही, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को 1,00,000/– रूपये की दो–दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेंगे।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे और विचारण में सहयोग करेंगे।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक 16.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.) एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.31 15:19:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court